

10/01/23

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आगे वादी परिवादी उपस्थिति  
पीठारीन अधिकारी वार एचो. बजाव  
पत्रावली वारसे कस्त आयन्दा दिनांक 29/03/23  
का वेक हो।  
ई

29.03.23 पत्रावली पेटा हुई अधिवक्ता वादी स्व  
वादी को तीन आवार्जेनं फ़िलाफ़े जाने बाइजुफ़  
अनुपास्थित रहने से पत्रावली अन्तर्गत धारा  
88 राजस्थान कश्तकारी अधिनियम इन्ही स्टेट  
पट अहम हाजती अहम-पेंरवी में ख़ारीज की  
जाती है पत्रावली फ़ैसल सुमाट होकर नम्बर  
कम की जाकर फ़ाइल फ़रत हो।

ई

